खण्ड-322, अंक-3
शनिवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1898
(8 मई, 1976 ई0)

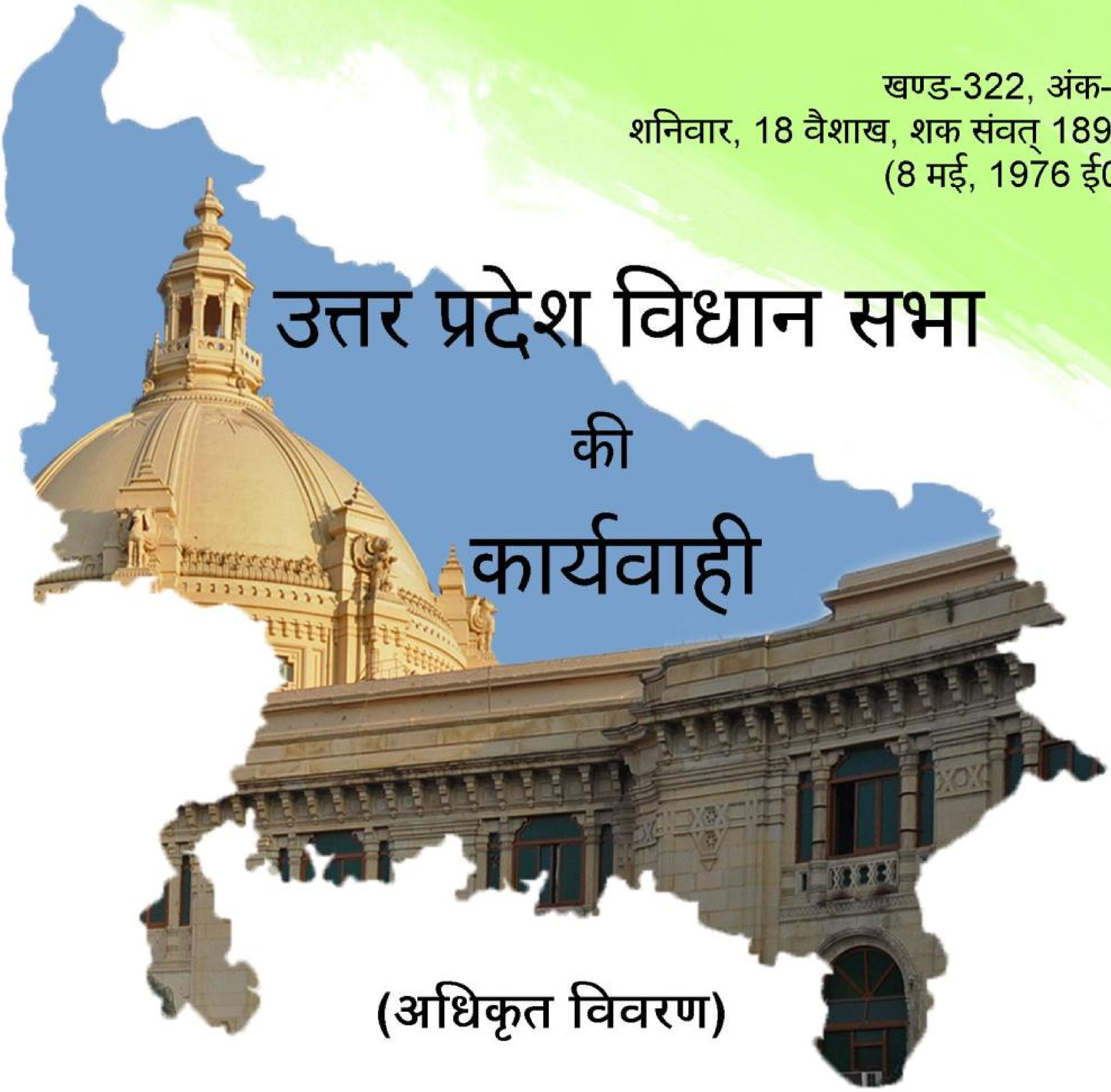

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 322 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	213—215
उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	215
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	215
पैरोल पर छोड़े गये सर्व श्री रामपति तथा दशरथसिंह, सदस्य, विधान सभा, को पुनः जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना	215
श्री नन्द राम, सदस्य, विधान सभा को कारावास में न भेजने के सम्बन्ध में सूचना	216
लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) के प्रतिवेदनों में समिति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा सिफारिशों का संकलन, भाग 2 (वर्ष 1959—1967) (प्रस्तुत किया गया)	216
1976—77 के आय—व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (स्वीकृत)	216—226
अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 41—सहकारिता, अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता (जारी)	226—229
राज्यपाल दीर्घा में श्री बलिराम भगत, अध्यक्ष, लोक सभा के आगमन पर श्री अध्यक्ष द्वारा अभिदेश	229—230
अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 41—सहकारिता, अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता (स्वीकृत)	230—238
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	238
कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेशीय शाखा की बैठक की सूचना	239

विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 8 मई, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बज कर 2 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—183

अजीजुर्रहमान, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जोगेश्वर, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्मचन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
ध्रुवनारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री

नारायण हरी शर्मा, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामजी लाल सहायक, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पान्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री

वीरसिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

नोट:—स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 मई, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1976 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 7 मई, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

पैरोल पर छोड़े गये सर्वश्री रामपति तथा दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा को पुनः जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदन को सूचित करता हूं कि अधीक्षक, जिला कारागार, गोंडा के रेडियो ग्राम दिनांक 4-5-76, जो इस सचिवालय में दिनांक 5-5-76 को प्राप्त हुआ, के अनुसार सर्वश्री रामपति तथा दशरथ सिंह, सदस्य, विधान सभा, गोंडा, जो दिनांक 30-4-76 को पैरोल पर रिहा किये गये थे, दिनांक 4-5-76 को जेल में दाखिल किये गये हैं। माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा पैरोल पर रिहाई इत्यादि की सूचनायें क्रमशः बुलेटिन संख्या 14, 16 तथा 24 द्वारा प्रसारित की गयी थीं।

श्री नन्द राम, सदस्य, विधान सभा को कारावास में न भेजने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जानसठ एवं जिला मैजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के वायरलेस संदेश दिनांक 6-5-76, जो इस सचिवालय में दिनांक 7-5-76 को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री नन्द राम, सदस्य, विधान सभा को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, जानसठ द्वारा दिनांक 6-5-76 को डी0 आई0 आर0 की धारा 43 के अन्तर्गत 3 माह के कठोर कारावास का दंड दिया गया। माननीय सदस्य ने जो अवधि विचाराधीन बन्दी के रूप में कारावास में बितायी, उसे सी आर0 पी0 सी0 की धारा 428 की अपेक्षानुसार ध्यान में रखते हुए उन्हें कारावास में नहीं भेजा गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचनायें बुलेटिन संख्या 8 तथा 14 द्वारा प्रसारित की गयी थीं।

लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) के प्रतिवेदनों में समिति द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा सिफारिशों का संकलन, भाग 2 (वर्ष 1959—1967)†

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) के प्रतिवेदनों में समिति द्वारा व्यक्त किये गये महत्वपूर्ण विचारों तथा सिफारिशों का संकलन, भाग 2 (वर्ष 1959-1967) प्रस्तुत करता हूं।

1976-77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

श्री अध्यक्ष—

अब हम सीधे कार्यसूची 8 पर आते हैं। 12 बजे तक यह समाप्त हो जायगा। इसके बाद हम दूसरा सहकारिता वाला लेंगे।

हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,73,98,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण का विभाग एक ऐसा विभाग है जो आजकल के वातावरण में खास महत्व रखता है। हमने दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और शोषित वर्ग के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं बनायी हैं। मैं उन सब चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता जो परम्परागत रूप में चलती आ रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति देना, फीस माफ करना। जो खास बातें हमने की हैं, उनका ही उल्लेख करूंगा। हरिजन और अनुसूचित जाति के ऐसे लड़के, जिन्होंने डाक्टरी या इन्जीनियरिंग पास कर ली है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो उनके लिए हम दो हजार रुपये देंगे, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और कार्य चला सकें। इसी के साथ जो बच्चे पी0सी0 एस0 या आई0 ए0 एस0 की नौकरियों में प्रवेश करना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है उनके लिये भी हमने एक ट्रेनिंग सेन्टर खोला है, इलाहाबाद में और

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ में तो चल ही रहा था और अब फिर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उसके बाद फिर उनकी सामाजिक और राजनैतिक स्थिति में भी सुधार आयेगा। साथ ही साथ उनके उत्थान के लिये तथा आवासीय सुविधा के लिए भी 36 लाख रुपये रखा है जिससे कि वे मकान बनवा सकें। इन 25, 26 वर्षों में इसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं हुआ और अब निर्णय लिया गया है कि हरिजन और पिछड़े वर्ग के लिये एक हाउसिंग बोर्ड बनाया जाय और उसका गठन हो गया है। उसी के माध्यम से इन्हें इंस्टीट्यूशनल फाइनेन्स तथा एल0 आई0 सी0 से रुपया मिलेगा और हमारा जो वित्त विकास निगम है, उसके अन्तर्गत हम इसकी योजना बनाकर केरल टाइप पक्के मकान बनाकर देंगे। यह काम हम इसी साल से शुरू कर रहे हैं ताकि यह जो 1,000 रु0 देने का दुरुपयोग होता था उसको हम दूर कर सकें और उस पर नियंत्रण भी रख सकें। इस प्रकार से हम मकान बनाकर अपने भाइयों को देंगे।

इसी के साथ ही साथ और भी कई योजनायें बनाई गई हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीमें। पलिया में 35 लाख रुपया लगाया जायगा। इसी तरह से चिल्डरेन इन्टीग्रेटेड स्कीम है जिसमें भी 10 लाख रुपया रखा गया है जिसमें तीन ब्लाक लेकर जो अलीगढ़, इलाहाबाद और रायबरेली जिलों में, इस काम को आरम्भ करा जायगा। इसी के साथ जो गर्भवती बहनें हैं, उनके लिये पौष्टिक आहार, दवाओं का भी प्रबन्ध किया जायगा। माताओं के लिये भी इसी प्रकार की योजनायें हैं जिनमें उनको पौष्टिक भोजन देने की योजना भी है, जिससे कि जो बच्चे हों, वे पुष्ट हों ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। एक योजना एनीमल हस्बेन्ड्री के अन्तर्गत भी है। यह है हमारे दूध की डेरी के डेवलपमेंट की। इस सम्बन्ध में हम 5, 6 जिलों में काम शुरू करने जा रहे हैं। 200, 200 फैमिलीज को पैसा देंगे जो इस काम को कर सकें। हम उनके दूध एकत्र करेंगे और वितरित करेंगे। मुरादाबाद, वाराणसी और बदायूं आदि जिलों में हम इस काम को आरम्भ करने जा रहे हैं। इसी के साथ जो नेशनलाइज्ड टेक्सटाइल कारपोरेशन है, फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स हैं, उसमें रुपया इन्वेस्ट करके हम थोक कपड़ा लेंगे मिल रेट पर और हर एक जिले में 5 आदमियों को वितरित करके यह काम करेंगे जिससे कि उनको 18 से 20 परसेंट तक का लाभ होगा। यह स्कीम हरिजनों के लिये है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और इस प्रकार से हम एक साल में अच्छी प्रगति कर सकेंगे। इस प्रकार से हम यह चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके साथ-साथ हमारे जो प्रोटेक्टिव होम्स थे, उनमें बच्चों को 50 रुपये दिए जाते थे; भोजन भी करते थे और कपड़ा भी मिलता था, लेकिन उनकी बहुत बुरी दशा थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि 50 रुपए के बजाय 70 रुपए कर दिए जायं और साथ-साथ नियन्त्रण रखा जाय, ताकि सारा लाभ उनको मिल सके। इतना बड़ा विभाग होते हुए भी इस पर सारे बजट का .7 परसेन्ट खर्चा होता है। दूसरे सूबों व मुल्कों में समाज कल्याण पर बहुत जोर दिया जाता है। माननीय सदस्य यहां भी इस पर जोर दें। फाइनेन्स न होने से काम में अड़चन पड़ती है। फिर भी माननीय सदस्य अपने सुझाव देंगे और उन सुझावों पर विचार किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना बजट पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इसको पास किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य सुझाव भी दें और सहायता भी दें।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला ललितपुर)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें ताकि 12 बजे के पहले ही यह पास कर दिया जाय।

कामरेड चन्दन सिंह—

मुझे अधिक भाषण नहीं करना है, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने आह्वान किया है कि उनकी सहायता की जाय और मैं ही क्या सारा हाउस यह कहेगा कि इस विभाग को अधिक धनराशि दी जाय, लेकिन इस विभाग में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं उनको मैं सदन के सामने रख दूंगा। आपसे यह आश्वासन चाहूंगा कि उन पर कुछ कार्यवाही की जायगी, तभी जो रुपया हरिजनों के व समाज कल्याण के लिए दिया जाता है, वह उन तक पहुंच सकेगा। ऐसा न होने पर आपका रुपया भी खर्च होगा और भ्रष्टाचारी उसको खाते जायेंगे और उससे हरिजनों को कोई लाभ नहीं हो सकेगा।

सबसे पहली बात यह है कि सतर्कता आयोग ने उप-निदेशक, हरिजन कल्याण को पौष्टिक आहार योजना में घोटाले का दोषी ठहराया। रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सचिव उसको संरक्षण दे रहे हैं। दूसरे, समाज कल्याण की एक अवीक्षिका ने अप्रैल, 1968 में कन्ट्रोल का लट्ठा जो 1 रुपया 10 पैसे मीटर था, सरकारी कार्य के लिए 3 रुपए मीटर खरीदा, इसी प्रकार और भी सामान बाजार भाव से दुगने तिगुने भाव पर खरीदा। तत्कालीन निदेशक ने जांच कराकर सितम्बर, 1968 में रिपोर्ट शासन को भेजी किन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीसरे, विभागीय पोलिटेक्निक के वर्तमान प्रधानाचार्य के विरुद्ध न केवल भ्रष्टाचार की शिकायत है, बल्कि छुआ-छूत बरतने की भी शिकायत है। इसमें 1973-74 में विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से 6 लाख की पुरानी मशीनरी खरीद कर नए का दाम दिया। चौथे, पिछले निदेशकों ने जिन भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल दिया था उनको पैसा लेकर पुनः रखा जा रहा है, उदाहरण के लिए जे0पी0 गुप्ता, के0 के0 त्रिपाठी, जयंती प्रसाद जैन, ओवरसियर। पांचवें, मार्च, 1976 में निदेशक की छुट्टी के दौरान कुछ सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गयी। इसमें योग्यता का कोई स्थान नहीं रखा गया और अधिक योग्य व्यक्तियों को साक्षात्कार तक के लिए नहीं बुलाया गया। क्या मन्त्री महोदय इन सब आरोपों की जांच करायेंगे ? छठे, निदेशालय के अधिकारी दौरे पर नहीं जाते हैं यदि जाते तो राय बरेली में जो गबन हुआ है, वह न होता। फरवरी, 1974 में अनुग्रह अनुदान का जो रुपया निकाला गया वह मार्च, 1974 तक बंट जाना चाहिए था, लेकिन जून, 1974 तक भी नहीं बंटा। जिसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

लिखित भाषण पढ़े जाने की प्रथा नहीं है। वैसे दो-चार बातें कह सकते हैं।

कामरेड चन्दन सिंह—

मेरा मतलब यह था कि आप जो अनुदान मांगते हैं, उसको बढ़ाया जाय, इसमें दो रायें नहीं हैं। लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार जितनी सहायता निर्बल वर्ग को दी जानी चाहिये, वह नहीं दी जा रही है। इस बजट में बड़े-बड़े लोगों को ही मदद मिल पाती है। निर्बल को कुछ लाभ नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि निर्बल वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक अनुदान दिया जाय। इसके साथ ही साथ आप विभाग में फैले भ्रष्टाचार को भी देखें। पैसा बड़े-बड़े लोग ही हजम कर जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो हरिजन कल्याण का बजट माननीय मन्त्री जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जिस ढंग से हरिजन एवं समाज कल्याण का काम अभी तक चलता रहा है इस बदलते हुए परिपेक्ष में और बदलती हुई परिस्थितियों में विभागीय प्रशासन में भी मौलिक परिवर्तन करने की आप बात सोचें। पिछले 25-30 वर्ष से हम लाखों और करोड़ों रुपया हरिजन-गृह बनाने के नाम पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा हमारे सामने नहीं निकला। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी अनुदान गृह बनाने के लिए इस विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, वह पी0 डब्ल्यू0 डी0 या हरिजन विभाग हरिजनों को न देकर स्वयं मकान बनाकर उन्हें दें। चाहे एक जिले में एक साल में 5 घर ही क्यों न बनें। सरकार घर बनाकर हरिजनों को दें। ताकि यह पता चले कि वे घर खड़े हैं। इससे यह होगा कि जो बीच के चौधरी या हम जैसे सफेदपोश हैं वे पैसा न खा सकें। वह पैसा हरिजनों के पास नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हरिजन शहरी जमीन पर 60 या 100 वर्ष से किसी न किसी तरह काबिज हों उन्हें न हटाया जाय। वहां से हटाने के पहले सरकार उन्हें सस्ते क्वार्टर बनाकर दे। जैसा कि धनबाद में लेबर एरिया में हरिजनों का मुहल्ला बना है। इसी तरह से आप हरिजन कालोनी बनायें और उनकी व्यवस्था करें। इसी प्रकार चिल्ड्रेन होम और औरतों के घर चलाये जा रहे हैं। ये चिल्ड्रेन्स होम इसलिये बनाये गये थे कि वहां के बच्चे अच्छे नागरिक होकर निकलें। लेकिन उनकी दशा आज बहुत ही सोचनीय है। ऐसे गृहों में आप छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोलें जिससे वहां के बच्चे कुछ सीखकर अच्छे नागरिक बन सकें। तभी आपके पैसे का सदुपयोग भी हो सकेगा अन्यथा गवर्नमेंट का पैसा व्यर्थ ही खर्च होता है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन समाज कल्याण का जो बजट पेश किया गया है और जिसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, उसके सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह जो मकान के लिए एक हजार रुपया दिया जाता है यह बहुत ही थोड़ा है, इसको और बढ़ाना चाहिए। जो यह हरिजन कमेटी जिले में बनी है उसके ऊपर इसकी व्यवस्था करने का काम देना चाहिए ताकि वह मकान, पीने के पानी के कुओं आदि की देख-रेख करें और उसके लिए उचित प्रबंध करें। यह मकान बनाने के लिए जो रुपया मिलता है, यह गरीब हरिजनों को नहीं मिल पाता है बल्कि उनको मिलता है, जो हरिजन वेलफेयर आफीसर के आगे पीछे घूमते हैं, दलाली करते हैं, उनको पैसा मिलता है और वह लोग पैसा खा जाते हैं जिस कारण से मकान नहीं बन पाते हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हरदोई जिले में जो हरिजन कमेटी बनी है उसकी मीटिंग हुई और उसके जितने सदस्य हैं उन्होंने तय किया कि सात-सात नाम दिए जायं, उन्हीं को अनुदान दिया जाय। लेकिन वहां के जो जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं, श्री मोहन लाल वर्मा, उन्होंने जिस दिन अनुदान बांटना था उसके एक दिन पहले यानी 28 तारीख की रात को, नाम बदल दिए और अपने समर्थकों के नाम और उनके रिस्तेदारों के नाम रातों रात दरख्वास्त मंगा कर अनुदान बांट दिया और हम लोग जो हरिजन कमेटी के मेम्बर थे, उनके द्वारा दिए हुए एक भी मेम्बर को अनुदान नहीं दिया। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की जांच कराई जाय और जो उन्होंने अनुदान स्वीकृत किया है उसे कैंसिल किया जाय।

श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चन्द सुझाव मन्त्री जी को देना चाहता हूं। जहां तक हरिजनों की आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन 29 वर्ष में सरकार द्वारा प्रयत्न किए गए हैं, उसका प्रतिफल, मान्यवर, आपको मालूम ही है। इससे हरिजन जो हैं, समाज में बहुत गिरी हुई निगाह

[श्री रघुबीर]

से देखे जा रहे हैं और यह कहा जाता है कि सारी सुविधायें सरकार उन्हीं को दे रही है। और वाकई में देखा जाय तो इसके विपरीत हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए जो सुविधायें मुहैय्या की गई हैं उसका पालन नहीं हुआ है, उनके उत्थान के लिए जो स्कीम बनाई जाती है वह उन तक पहुंच नहीं पाती है। यह सुझाव मुझे दुख के साथ देना पड़ रहा है। आज हरिजनों को मकान बनाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं उसमें, जैसा कि माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि दलाल लोग पैसा खा जाते हैं। अगर उनके लिए आप मकान बनाना चाहते हैं तो जो पैसा मकान के लिए दिया जाता है उससे पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा मकान बनवायें ताकि सही माने में यह चीज उपलब्ध हो सके।

हरिजन छात्रों को जो स्कालरशिप दी जाती है वह समय पर नहीं दी जाती है। लड़का पढ़कर निकल जाता है और इम्तिहान देकर घर लौट आता है, उस वक्त तक उसको स्कालरशिप नहीं मिल पाती है। स्कूल वाले दूसरों से हस्ताक्षर कराकर उसे ड्रा कर लेते हैं या फिर बच्चों से ही हस्ताक्षर करा लेते हैं और आधा पैसा स्कूल वाले खा जाते हैं। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि डाक द्वारा हरिजन छात्रों को पैसा भेजा जाय या जो हरिजन अधिकारी हैं उनके जिम्मे यह काम दें कि वह इसके वितरण की व्यवस्था करें, पैसे को लेकर छात्रों तक पहुचायें। यह बात देखने की है जो पैसा सरकार स्वीकृत करती है वह उनको नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, दूसरी बात यह अनुरोध करना है कि आप गांवों के हरिजनों को गृह-निर्माण के लिए जमीनें दे रहे हैं, लेकिन जो हरिजन नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और नगरपालिका क्षेत्र में रहते हैं, उनको आप क्या दे रहे हैं? इन जगह के हरिजनों के लिए आपने जमीन या गृह-निर्माण हेतु जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं किया है। वह निरीह हरिजन जिनके पास सिर ढकने को मकान नहीं है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जमीन में, घर के सभी अपने लोगों के साथ किसी तरह बसर करता है और जानवरों सी जिन्दगी वह बसर करता है। सरकार जहां गांवों में उनको जमीन दे रही है, यहां पर इनको बिलकुल छोड़ दिया गया है। उनको जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री जी के समक्ष सुझाव रखूंगा कि इस पर वह गहराई से विचार करें और नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और नगरपालिकाओं के अन्तर्गत रहने वाले हरिजनों को भी जमीन देने की कृपा करें।

अब मैं कुओं के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हम अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं, किन्तु आज भी उनको सवर्णों के कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। कुओं पर हम चढ़ जाएं तो कुएं का पानी सफेद से काला हो जाता है। लेकिन पानी में कोई चेजेंज नहीं होता है, उनके दिलों में चेंज होता है। मन्दिरों में हम प्रवेश करें तो भगवान भाग जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, भगवान कहीं नहीं भागता है, उनके दिल में ऐसी बात हो जाती है। आज बेचारे वह हिन्दू हैं, हिन्दुस्तानी हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सारी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, फिर भी वह हिन्दू समाज में अछूत हैं और उनको जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। यह उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति है। इसके लिए सरकार और मन्त्री जी विशेष ध्यान दें, छुआ-छूत के कोढ़ को, और सामाजिक असमानता को दूर करें। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो जो कहा जाता है और बहुत हद तक ठीक है कि हरिजन जी तोड़कर कांग्रेस को जिताता है और उसके साथ मरता है, फिर भी उसकी छाती में लात मारेंगे तो कब तक वह आपका साथ देगा? इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज पूरे प्रदेश में इस तरह का एक वातावरण बना हुआ है, ऐसी

पब्लिसिटी होती है, चाहे अखबारी माध्यम से हो या रेडियो से सरकार करे कि हिन्दुस्तान की सारी प्रापर्टी, सारा रुपया हरिजन समाज को ही दिया जा रहा है। मैं आपके सामने उन तथ्यों को रखूंगा, जिससे निश्चित रूप से सदन इस नतीजे पर पहुंचेगा कि वास्तविकता यह नहीं है और हरिजन समाज के लिए क्या हो रहा है और क्या पब्लिसिटी हो रही है। यहां पर कुछ इन्डस्ट्रियल सेल बने, इसलिए बने कि हरिजन समाज में इन्डस्ट्री की स्थापना के लिए वह कार्य करेगा और यह भी था कि वह हरिजन डाइरेक्ट्रेट के अन्डर में काम करेगा और उसका हेड उसका इन्चार्ज होगा। लेकिन सरकार ने उसका हेड एक डिप्टी सेक्रेटरी को बनाकर रखा और आगे कोई कार्य नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि उस सेल के द्वारा कितनी इन्डस्ट्रीज अपने यहां कायम की गईं ?

एक हरिजन डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना अभी पिछले साल ही हुई थी और उसके लिए बड़ी पब्लिसिटी हुई। उसको ऐसा तूल दिया गया कि उससे सारे हरिजन समाज की समस्यायें सुलझ जाएंगी। मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कृपया यह बताने की कृपा करें कि हरिजन डेवलपमेंट कारपोरेशन, जिसके पास कार भी है, ने कितने जिलों का दौरा किया है और कितने स्थानों पर इन्डस्ट्रीज कायम की हैं ? इसे वह जब सदन में रखेंगे तब सबको बड़ी निराशा होगी। क्योंकि इस कारपोरेशन के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे हरिजन समाज के लोगों को कोई दिशा मिलती, सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। कोरी पब्लिसिटी से काम चलने वाला नहीं है। बड़ी अच्छी बात है कि हरिजन बोर्ड के द्वारा जो 1-1- हजार रुपये दिये जा रहे थे उसके स्थान पर अब मकान टेक्निशियन के द्वारा बनवाये जायेंगे। मान्यवर, यह तमाशा है सिर्फ इस बात के लिये कि वोट आ जायें। मान्यवर, कारपोरेशन एफेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो इसका भी वही हाल होगा जैसा कि कुछ अन्य कारपोरेशन्स के हुए हैं। मान्यवर, यह कहा गया था कि हरिजनों के हाथ में इन्डस्ट्री दी जायगी। वह कहां-कहां तक इन्डस्ट्री दी गयी ? उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग है, कौन सा अधिकारी है, कौन सा कर्मचारी है, जिसको आज दिन तक इस रिजर्वेशन के आधार पर प्रोमोट किया गया हो ? मान्यवर, तो यह बड़ी ही निराशाजनक बात है। यह वोट का समय जब आता है तो आप फिजा बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि इस वर्ग के 13 जिले बीस बनाए गए, तब वह इस लायक थे अब वही नालायक हो गए और 13 से 6 कर दिए गए हैं। एस0पी0 भी 10 में से 5 ही रह गये हैं। यदि आप मानते हैं कि ये लोग काम कर सकते हैं तो आखिर कौनसी मजबूरी सरकार के सामने आती है उनकी संख्या घटती-घटती चली जाती है। मान्यवर, यह बड़ी बिडम्बना की चीज है। मान्यवर, इसमें हस्तक्षेप करके इसको डिसाइड करें। इसमें विभाग साफ होना चाहिए। केवल अखबार और कलम-दावात से काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, माननीय डाक्टर साहब निश्चित रूप से समाजवाद को लाने के लिए ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे। मैं इन शब्दों के साथ इस हरिजन बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसको मखौल में न लें, इस पर निश्चित रूप से गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, इन्होंने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार केवल वोट के लिए ही हरिजनों के लिए कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

उनका मत यही हो सकता है। तो हम क्या करें ? आप क्या करेंगे ?

श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—

मान्यवर, जो हरिजन एवं समाज कल्याण का बजट पेश है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। मान्यवर, जो हरिजन बस्तियां पिछड़े गांवों में बनाई गई हैं, वह गांवों

[श्रीमती बेनीबाई]

से दूर बनाई गई है और मुश्किल से 1 हजार रुपए की लागत वाली है। उसके ऊपर जो टिन डाली गयी है, वे उड़ गयी हैं। वह गांवों से दूर बनी है। दूसरे, न वहां पर पानी की व्यवस्था है और न बिजली की व्यवस्था है। इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर पानी के लिए कुओं की व्यवस्था की जानी चाहिए और बिजली की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, हरिजनों को जो अनुदान दिया जाता है मकानों के लिए, वह एक हजार रुपया होता है। इससे मकान बन नहीं सकते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक हजार के स्थान पर 5 हजार रुपया कर दिया जाये चाहे कम ही हरिजनों को मिले। इससे उनके मकान बन सकेंगे, जो कुछ समय के लिए टिकाऊ होंगे। 11-12 तथा उच्च कक्षाओं के हरिजन-छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है लेकिन कक्षा 9 और 10 के हरिजन छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है जिससे कक्षा 9 तक पहुंचते ही अपनी पढ़ाई समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि कक्षा 9 और 10 के हरिजन छात्रों को अनिवार्य रूप से छात्र-वृत्ति मिलनी चाहिए। मान्यवर, जमीन जो आवास के लिए दी जाती है, वह बहुत दूर दी जाती है। चकबन्दी से जो जमीन बचती है वही भूमि उनको एलाट कर दी जाती है। बहुत जगहों पर उनको मकान बनाने के लिए गड्ढों में जमीन दे दी जाती है। अच्छी जगहों पर जमीन दी जाती है तो जो साधन सम्पन्न लोग होते हैं वह एस0 डी0 एम0 से स्टे आर्डर ले आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर आप प्रतिबन्ध लगाएं कि जिन हरिजनों को जमीन आवास के लिए दी जाती है उन पर स्टे आर्डर न दिया जाए, जिससे कि हरिजन वहां पर मकान बना सकें। मान्यवर, विधवाओं को जो पेन्शन दी जाती है, वह उनको बड़ी मुसीबत से मिल पाती है। यह कार्य पेन्शन देने का आप जिलाधिकारी को दे दें जिससे कि वहां पर पूंछ-तांछ कर सकें। वर्ना उनको पेन्शन मिल ही नहीं पाती है। मान्यवर, अभी हमारे हरिजन मन्त्री जी ने बताया कि कुछ ब्लाकों में डेरी फार्म बनाए जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप बुन्देलखंड जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर भी डेरी फार्म खोलने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया सोशल वेलफेयर के स्कूलों में स्कूल खोले जा रहे हैं। मेरा सजेशन है कि 50 रुपए टीचर अपनी जेब में डालता है और बच्चों की फर्जी संख्या दिखाता है। मान्यवर, इसको तोड़ देना चाहिए और इसके स्थान पर वही धनराशि हरिजन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में देनी चाहिए। मान्यवर, मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं स्कूलों में जो पौष्टिक आहार की योजना है इसको बन्द कर देना चाहिए। अध्यापक लोग सारा सामान बाजार में बेच देते हैं। मेरा सुझाव है कि इसके स्थान पर बच्चों को दूध देना चाहिए। तो यह योजना सफल हो सकती है। और टीचर्स लोग उसमें फंस जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या वे दूध नहीं बेच लेंगे? (हंसी) जब वे दलिया बेच लेते हैं?

श्रीमती बेनी बाई—

इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि 2-2- स्कूलों के बीच में अगर कोई दूध की दुकान खुलवा दें तो वहां पर छात्र जा कर पी लेंगे।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है कि वर्ष 1975-76 में जो धनराशि इस कार्य के लिए दी गई थी, वह सरेन्डर कर दी गई थी। उसमें इस विभाग का बड़ा नुकसान हुआ। मैं चाहूंगी कि माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायें कि यह धनराशि वर्ष 1975-76 में क्यों वापस की गई?

लखनऊ में पी0सी0एस0 की ट्रेनिंग देने के लिये गत वर्ष से ट्रेनिंग क्लासेज चल रहीं थीं, लेकिन इस वर्ष इन कोचिंग क्लासेज को बन्द ही कर दिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इन कोचिंग क्लासेज को लखनऊ में अवश्य चलाना चाहिए ताकि जितने हरिजन के बच्चे हैं वे पी0सी0एस0 ट्रेनिंग लेकर नौकरियों में पहुंच सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती

श्री ब्याली राम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मद पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

आज मैं सदन का ध्यान इस सम्बन्ध में 2 महत्वपूर्ण मसलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पश्चिमी जिलों में हरिजन जाति में एक जाटव जाति भी है। हम सवर्ण इनके यहां खाते हैं, पीते हैं, कुओं पर भी चढ़ाते हैं, लेकिन ये जाटव लोग बाल्मीकि लोगों को अपने कुओं पर नहीं चढ़ने देते हैं। तो आपस में हरिजनों में ही कितना बड़ा भेद है। दूसरों को तो वे कहते हैं कि अछूतोद्धार होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के अन्दर वर्ग-भेद बना हुआ है। ये अपने ही साथियों के साथ समानता का व्यवहार करने को तैयार नहीं हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे बहुत से अधिकारी, जो हरिजन हैं, इस प्रदेश में आ रहे हैं। आने भी चाहिए, ताकि उनका अनुपात पूरा हो सके, लेकिन वे वर्ग-भेद करते जा रहे हैं, वे हरिजनों का पक्ष लेते हैं चाहे वह न्यायोचित हो अथवा नहीं। मैं अपने जिले का ही एक उदाहरण पेश करता हूं वहां पर उन्होंने वर्ग-भेद पैदा कर दिया है। वे न्याय और अन्याय सत्य और असत्य पर आधारित होकर निर्णय कर देते हैं। जो अपने साथियों में ही वर्ग-भेद पैदा करते हैं, वे कैसे दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे अछूतोद्धार करगे। हमारे जो पढ़े-लिखे अधिकारी हैं, आई0ए0एस0 हैं, उनको इसे रोकना चाहिए।

एक हमारे साथी ने कहा कि हरिजन कल्याण परिषद् जो बनी है, उसने कोई संस्तुति की लेकिन उन्हें नहीं मिली। हमारे जिले की जो परिषद् है उन्होंने यह तय किया कि क्षेत्रवार इतना अनुदान दिया जाय, वह सदस्यों की संस्तुति के साथ पुन: ली जाय लेकिन वे मेम्बर्स अपने अपने क्षेत्रों में यदि संस्तुति करेंगे तो मैं समझता हूं कि यदि उन्हें न मिल कर दूसरों का अनुदान मिल गया, तो कमटी को अधिकार होना चाहिए कि वह बाद में स्वीकृति न दे। समिति के सदस्यों को भी सोचना चाहिए कि वह अनुदान किसको मिले।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

मुझे दो-तीन बातें सूत्र रूप में कहनी हैं। कल सदन में मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जैसे देहातों में हरिजनों और दूसरे आर्टिजन्स के लिए मकान बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह कैबिनेट विचार कर रही है कि नगरपालिकाओं और नोटिफाइड एरिया में भी आवास की व्यवस्था की जाय। अच्छा होता कि बजट पेश करते समय इसकी घोषणा मन्त्री जी करते लेकिन नहीं की है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी निर्णय लेकर कार्यवाही करेंगे। मन्त्री जी ने कहा कि मकान के लिए 1000 रुपया ग्रान्ट दी जाती है, उसका दुरुपयोग होता है तो सरकार ने निश्चय किया है कि स्वयं मकान बनाकर देंगे। अच्छी बात है, यह रकम कम है तो सरकार जब स्वयं बनाएगी तो स्वयं अनुभव होगा कि यह

[श्री भीखा लाल]

कम है और रकम बढ़ायी जाएगी। इस के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि हरिजन कल्याण विभाग ने 3-4 साल पहले एक स्कीम बनायी थी कि हर साल हम हरिजन कालोनी बनाएंगे और एक ब्लाक में एक हरिजन कालोनी बनेगी जिसमें 9-10 मकान बनाए गए थे। मैं चाहूंगा कि आप सर्वे करा लें उत्तर प्रदेश में कि कितनी कालोनीज बनी हैं और कितनी आबाद हुई। मुझे अपने जिले का अनुभव है कि कालोनी आबादी से इतनी दूर बनायी गयी हैं कि उसमें कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। उसमें केवल एक कोठरी एक वरान्डा है और उसमें पीने की उचित व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा और मन्त्रि मन्डल के तमाम सदस्यों ने भी कि लखनऊ से कानपुर जाते हुए अजगैन और उन्नाव के बीच में एक कालोनी बनी हुई है जोकि दो साल से खाली पड़ी हुई है। तो सर्वे करा लें कि कितनी खाली पड़ी है और पैसे का दुरुपयोग हुआ है। एक स्कीम हरिजन कल्याण विभाग द्वारा पेय जल योजना की कुएं के लिए बनी थी। कुछ अनुदान देते थे, वह बन्द कर दी गयी है और दूसरे तरीकों से समस्या हल की जा रही है, लेकिन वह इतना अहम है कि हरिजन बस्तियों में कुओं की कमी है। मैं कहूंगा कि इस पर विचार किया जाय और उसको फिर से लागू करने की कोशिश करें।

एक वजीफे का सवाल है। माननीय सदस्यों ने कहा कि जो वजीफा विद्यार्थियों को दिया जाता है उनको वह जल्दी मिलना चाहिए। इसके लिए मन्त्री जी व्यवस्था करें। क्योंकि आम तौर से देखा जाता है कि जुलाई में तो स्कूल खुल जाते हैं, इस साल की असाधारण परिस्थिति को छोड़कर और वजीफा फरवरी और मार्च से पहले नहीं मिला। तो ऐसी व्यवस्था करें कि जल्दी मिल जाया करें। माननीय, बेनी बाई जी ने सुझाव दिया था कि नवीं-दसवीं के लड़कों को अनिवार्य रूप से वजीफे की व्यवस्था करें, यह उचित ही है।

अभी मन्त्री जी ने कहा कि समाज कल्याण विभाग में बजट की व्यवस्था बहुत कम है यह केवल 1.5 परसेंट ही आती है। इस विभाग के काम के महत्व को देखते हुए, जो कि पद-दलित समाज के इतने बड़े अंग को ऊपर उठाने का काम लिए हुए हैं, यह रकम बहुत कम है। सरकार इस पर विचार करे और इसको बढ़ाया जाय। लेकिन रकम कम होते हुए भी जो इसका प्रचार होता है रेडियो, टेलीविजन और अखबारों से और नेताओं के भाषणों से तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे हरिजनों के लिए 101 परसेन्ट ग्रान्ट दी जा रही है। तो बजाय इसके लिए कि कोई मदद मिले, उस प्रकार से समाज में हरिजनों के प्रति एक विद्वेष की भावना पैदा होती जा रही है। आमतौर से लोगों को कहते सुना जाता है कि सरकार हरिजनों के लिए ही जमीन की व्यवस्था कर रही है, वजीफा की व्यवस्था कर रही है, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था कर रही है। इसलिए ज्यादा प्रचार न करके जितना काम कर रहे हैं उतना ही प्रचार करें जिससे गलत धारणा न बने और विद्वेष की बात समाज में पैदा न हो।

इन्हीं चन्द सुझावों को मुझे देना था।

*डाक्टर चरण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने बहुत सुन्दर और बड़े कांस्ट्रक्टिव सुझाव दिए और मैं उनके विचारों की कद्र करते हुए, जो सुझाव दिए हैं, वे उनपर कार्यवाही करूंगा और मेरा विश्वास है कि आहिस्ता-आहिस्ता इस विभाग में प्रगति होगी। जनता को और खासकर हरिजन भाइयों को सुविधायें मिलेंगी और एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वास प्राप्त होगा प्रदेश में कि इस दिशा की तरफ कुछ किया रहा है, सिर्फ कागजी कार्यवाही नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने की योजना बनायी जा रही है।

मैं माननीय चन्दन सिंह जी का, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, बहुत मशकूर हूं। उन्होंने बहुत सी आलोचनायें इसलिए कीं कि करप्शन बहुत है। मैं मानता हूं कि करप्शन है। लेकिन मैंने खुद कार्यवाही की है। मैं और माननीया सदस्य कैलाशपति जी, जब मुझे पता चला कि बोगस स्कूल हैं और छात्र-वृत्तियां ली जाती हैं, फीस ली जाती है, ग्रान्ट ली जाती है, जबकि स्कूल का वजूद ही नहीं है, तो 15 मील जा कर देखा कि वाकई वहां कोई स्कूल नहीं है। तो हमने इन्क्वयारी चालू कर दी और दोषी अधिकारियों को बिल्कुल सजा मिलेगी, मैं आपको बचन देता हूं। रायबरेली का ऐसा हुआ जैसा कि उल्लेख किया गया है। तो वहां भी सरकारी अफसर निलम्बित हुआ और सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच की जा रही है। इलाहाबाद और आगरा में भी इस तरह के तत्व नजर आये। हरिजन कल्याण विभाग में 11 गजटेड अफसरों की सजायें मिलीं, 30 नान-गजेटेड को। आफिसर्स सस्पेन्ड हुए 7, आफिसर्स कम्पलसरीली रिटायर किए गए 4, डिसिप्लिनरी ऐक्शन 4 के खिलाफ चल रहा है और नान-गजटेड आफिशियल्स 23 सस्पेन्ड हुए और कम्पलसरीली रिटायर 4 किए गए और 18 के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जा रहा है। समाज कल्याण (1) विभाग में भी 10 गजटेड आफिसर्स को सजा मिली, 27 नान-गजेटेड आफिशियल्स सस्पेन्ड हुए और 3 गजटेड आफिसर्स, कम्पलसरीली रिटायर किए गए एक, डिसिप्लिनरी ऐक्शन 6 के खिलाफ। 23 नान-गजेटेड आफिसर्स को कम्पलसरीली रिटायर किया गया। एक का मामला विचाराधीन है। 4 के ऊपर डिसिप्लिनरी ऐक्शन ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि डिसिप्लिन आए और ऐडमिनिस्ट्रेशन टीन-अप हो।

इसी तरह स्कालरशिप की बात माननीय सदस्यों ने बहुत कही है। मैं मानता हूं कि अगर वक्त से स्कालरशिप नहीं मिलेगी तो बहुत असुविधा होगी और बच्चे छोड़ कर चले जायेंगे। पहले कोई और योजना थी, लेकिन अबकी बार यह किया गया है कि चेक से पेमेन्ट होगा ताकि जिसको मिलना चाहिए उसके हाथ में जाए और हमने फैज कर दिया है कि 31 अगस्त तक सब एप्लीकेशन्स डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर के पास आ जानी चाहिए और अक्तूबर के अन्त तक पहली किस्त, दूसरी किस्त दिसम्बर-जनवरी तक और तीसरी किस्त मार्च-अप्रैल तक मिल जानी चाहिए। इसके ऊपर सख्ती से कार्यवाही की जायगी ताकि जो असुविधा हो रही है, वह न हो।

हाउसिंग बोर्ड के मुताल्लिक मैंने जैसा पहले कहा कि 36 लाख रुपया हर साल हम जाया करते थे। बहुत सी शिकायतें आयीं। कई जगह तो मैंने आदेश दे दिया कि वितरण बन्द कर दिया जाय क्योंकि माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा था कि जिला परिषद् के अध्यक्ष अपने इन्फ्लूएन्स का दुरुपयोग करते हैं और अपने ही आदमियों को देते हैं। तो दो, तीन जिलों में बन्द करवा दिया। हरदोई के बारे में शर्मा जी ने कहा है। वह भी इन्वेस्टीगेट करवाऊंगा और अगर कोई बात होगी तो बन्द कर दिया जायगा। लेकिन अब तो यह प्रथा बिल्कुल बन्द हो गयी है। अब तो 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि से हमने हरिजन बोर्ड बनाया है। माननीय गौरीशंकर जी ने कहा कि यह तो कच्चे मकान बनायेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि बगैर अध्ययन किए आपने ऐसी आशंका पैदा कर दी। एक तरफ तो हम 36 लाख रुपया सालाना बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप ऐसा करते हैं कि लोगों में निराशा पैदा हो। ऐसा नहीं हो सकता। हम उनको पक्के मकान बनवा कर देंगे। माननीय गौरीशंकर जी यह कहते हैं कि हरिजनों की सुरक्षा नहीं है, गौरीशंकर जी यहां उपस्थित हैं तो यह हरिजनों की बदौलत उपस्थित हैं। सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। विभाग में जो कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे। हम कान्सट्रक्टिव सुझाव चाहते

[डाक्टर चरण सिंह]
हैं, मगर लांछन सुनने को तैयार नहीं हैं। अगले साल तक अगर कमियां रहीं तो आप आलोचना कर सकते हैं। स्कालरशिप की बात कही गयी, वह अब चेक से दिया जाएगा। हाऊसिंग के बारे में कहा गया। मन्त्रि-परिषद् की मीटिंग में कन्सीडर हो गया है। टाऊन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका और कारपोरेशन वगैरह में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हरिजन तथा आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के लिए मकान बन सकें। यह विचाराधीन है और इसके हक में लगभग निर्णय हो चुका है। बेनी बाई जी ने पानी के बारे में कहा, अब वह कम्युनिटी डेवलपमेंट के पास चला गया है, लेकिन अगर कोई पानी नहीं भरने देता है या अत्याचार करता है तो उसके लिए अलग से एक डी० आई० जी० का सेल नियुक्त है जो कड़ी कार्यवाही करता है। बहुत लम्बा भाषण न देकर मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें और यह सदन इस अनुदान को पास करें।

कामरेड चन्दन सिंह—

मैं कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कामरेड चन्दन सिंह को कटौती का प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में "अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण,, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,73,98,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—29 कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 41—सहकारिता, अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता

सहकारिता मन्त्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन् मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में 'अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,71,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में 'अनुदान संख्या 41—सहकारिता, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,98,64,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में 'अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,69,19,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

संख्या 29—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 41—सहकारिता, अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम-सहकारिता

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,56,13,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले मैं कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारी जो सांस्कृतिक विभाग है, इसके अन्तर्गत हम चाहते हैं कि यहां एक संस्कृत एकेडेमी की स्थापना करें। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है और वह हमारे देश में चारों तरफ फैली हुई है। उसमें संशोधन करने के लिए उसकी पांडुलिपियों को इकट्ठा करने के लिए तथा अनुसन्धान का कार्य करने के लिए ही हम यह एकेडेमी बनायेंगे। इसके अलावा हमने यह भी निश्चय किया है कि लखनऊ के एक बड़े कवि, जो मीर अनीस हो गए हैं, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए मीर अनीस स्मारक समिति को 1 लाख अनावर्तक और 5 हजार रुपया आवर्तक अनुदान के रूप में देंगे। हमने यह भी निश्चय किया है कि जगद्गुरु शंकराचार्य जो हमारे महान नेता थे साथ के, उनकी यादगार में इलाहाबाद आदिगुरु शंकराचार्य विमान मंडप बनायेंगे और वह मंडप आदि गुरु से सम्बन्धित चीजों की खोज करेगा तथा और अन्य खोजें करेगा। देश की एकता के लिए हमने यह भी निश्चय किया है कि हम अपने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक दल को बाहर भेजें और बाहर के प्रान्तों के सांस्कृतिक दलों को अपने यहां बुलावें। थोड़े दिन पहले गुजरात से एक दल यहां आया था। हमारा दल गोवा गया हुआ है और आजकल तामिलनाडु में घूम रहा है। इस समय-समय नहीं है लेकिन अगले सत्र में जब समय होगा, मैं माननीय सदस्यों को अपने दल के कार्यक्रम दिखलाऊंगा। हमने यह भी निश्चय किया कि पहाड़ों पर उत्तराखंड के जिलों में जो अभिलेख हैं, उनके लिए वहां अभिलेखागार बनवाएं जिससे वहां जितनी पांडुलिपियां हैं, उनकी सुरक्षा हो सके। यह तो रही सांस्कृतिक कार्य-क्रम की बात।

जहां तक सहकारिता विभाग की बात है, सब लोग जानते हैं कि हमारी प्रधान मन्त्री ने स्वयं यह निर्देश दिया है कि सहकारिता का जो बकाया है, उसकी वसूली शीघ्रता से की जाय। सचमुच यह सोचने की बात है कि जो ऋण दिया गया है अगर उसकी वसूली न की जाय तो काम कैसे चलेगा? हर जिले के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ऋणों की वसूली हो और मुझे विश्वास है कि जून मास तक 70 प्रतिशत ऋणों की वसूली हो पायेगी। यह बात सही है कि ऐसी शिकायतें हमारे पास आयी हैं कि पुराने ऋणों की वसूली में कई जगह सुपरवाइजरों ने गलतियां की हैं। जहां पर गलतियां हमारे सामने आयी हैं, उनको सुधारने का प्रयास किया गया है और जांच भी करायी गयी है। लेकिन ऋण को रोका तो नहीं जा सकता। सुपरवाइजरों ने कुछ गलतियां की हैं और इसीलिये जितने सुपरवाइजर्स हैं उनके ऊपर कन्ट्रोल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उनकी चरित्र-पंजिका में ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव, बी0 डी0 ओ0, बैंक मैनेजर और चेयरमैन, सहकारिता लिख सकेंगे। उनकी सर्विसेज पर सेन्ट्रल कन्ट्रोल है और प्राविंशियल यूनियन भी उनकी सर्विसेज को देखेगी। इसके साथ ही साथ जो बैंक के अफसर हैं, मैनेजर हैं, फील्ड अफसर हैं, इनकी सर्विसेज का एक केडर बनाने का निश्चय किया है। यह केडर ऐसा होगा कि अफसरों का ट्रान्सफर हो सकेगा। इसी तरह से सुपरवाइजर हैं। इनके बारे में बड़ी शिकायत रहती थी। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग 10-12 साल तक एक जगह पर रह जाते थे, लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं कि इनकी पोस्ट ट्रान्सफरेबिल होगी और कुछ समय के बाद एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रान्सफर हो

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

जाया करेगा और कुछ ज्यादा समय के बाद इनका ट्रान्सफर एक जिले से दूसरे जिले को किया जायगा। इससे जो शिकायतें होती थीं, वह दूर होंगी।

श्रीमन्, प्रधान मन्त्री के आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्बल वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि हमको संरक्षण देने के लिए प्राथमिक कोआपरेटिव सोसाइटीज और प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज की जो मैनेजिंग कमेटी है, उसमें इनको 1/3 प्रतिनिधित्व दे दिया है। जो हमारे कोआपरेटिव डिपार्टमेंट हैं और दूसरी समितियां हैं, उनमें 1/3 निर्बल वर्ग के लोग रहेंगे। निर्बल वर्ग में श्रीमन्, जानते हैं कि खेतिहर, मजदूर, सीमांत काश्तकार, छोटे काश्तकार, हरिजन आदि आते हैं। मान्यवर, हमने यह भी निश्चय किया है कि जो हमारे कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स स्टोर्स हैं, जहां से रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं उनकी जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें 1/3 स्त्रियां होंगी और अगर वह किसी तरह से नहीं आ पायीं तो उनको नामिनेट कर लिया जायगा। श्रीमन्, हमने यह भी निश्चय किया है कि प्रदेश में जितने हमारे किसान हैं, लगभग, 1 करोड़ दस लाख किसान परिवार हैं। लेकिन अभी केवल 68 लाख ही सहकारी समितियों के मेम्बर बन सके हैं। हमारा प्रयास है कि शत-प्रतिशत कृषकों को कोआपरेटिव का मेम्बर बनाया जाय। मान्यवर, कहीं-कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्य लोगों को मेम्बर बनने नहीं देना चाहते हैं तो अगर आवश्यकता हुई तो हम इस सम्बन्ध में एक कानून भी बनायेंगे।

मान्यवर, प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 लाख नए लोगों को भूमि मिली है। जो भूमि दी गयी है उसको ठीक करने के लिए हमने निश्चय किया कि कोआपरेटिव विभाग प्रत्येक एलाटीज को 125 रुपया खाद के लिए देगा, 150 रुपया नकद देगा जिससे जमीन को ठीक कर सके। मान्यवर, कोआपरेटिव विभाग से रुपया जब मिलता है, जब पहले पहले शेयर खरीदा गया हो तो हम शेयर खरीदने के लिए प्रत्येक को 30 रुपया देंगे। इस तरह 305 रुपए प्रत्येक एलाटी को सहकारिता विभाग देगा। श्रीमन्, हमने यह भी निश्चय किया है कि हमारी जो एपेक्स बाडीज हैं, उनमें हम मैनेजिंग डाइरेक्टर का पद बना दें जिससे अच्छी तरह से देख रेख हो सके। मान्यवर, इसी सदन में कुछ कानूनों में परिवर्तन किया गया है। बहुत सी संस्थायें ऐसी थीं जिनमें लोग बैठ जाया करते थे, 10-12 साल रहते थे, चुनाव नहीं कराते थे। तो अब ऐसा किया गया है कि चुनाव की तिथि समाप्त होते ही संस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी और सचिव चार्ज ले लेगा। हमने यह भी निश्चय किया है कि हमारे बैंक और जो हमारी सोसाइटीज हैं अगर वह काफी वसूली नहीं करती हैं तो जैसा रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है, अगर 2 वर्ष तक 40 प्रतिशत से ज्यादा बकाए की वसूली रह गयी तो वह बैंक अपने आप समाप्त हो जायगा। मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत खाने की चीजों के दामों में कमी आयी है। लेकिन दूसरी चीज जो कपड़ा है, स्टैन्डर्ड क्लाथ है जिसकी कीमत एक रुपया या 2 रुपए 15 पैसे मीटर है, उसका भी वितरण किया है। 22 करोड़ रुपए के स्टेन्डर्ड क्लाथ का वितरण कर चुके हैं। हमारे देश में 40 हजार गांठों का उत्पादन होता है उसमें से 8 हजार 800 गांठों को कोआपरेटिव विभाग की तरफ से बांटना है। श्रीमन्, आखिर में 1-2 बातों की तरफ मैं निवेदन करूंगा। हमारे यहां मन्डियां हैं, हमने यह निश्चय किया है कि जहां मन्डियों में जगह मिल जायगी तो उन प्रत्येक मन्डियों में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से एक मकान बनवा दें, वहीं पर संग्रह-गृह होगा। एक बैंक की बिल्डिंग बना देंगे और एक कन्ज्यूमर स्टोर बना देंगे जिससे काश्तकार जो बेचने आयें वह बैंक में रुपया जमा कर सकें और जो सामान की जरूरत हो वह स्टोर से सस्ते दामों पर खरीद सकें।

मान्यवर, अन्त में यह भी निश्चय किया है कि तजुर्बे के तौर पर यहां एक फारमर्स सरविस कोआपरेटिव बनावें, पहले से कुछ बनी हुई हैं। लेकिन यह एक पाइलेट के तौर

पर बनायेंगे और कोआपरेटिव से कितनी मदद हो सके जैसे लैण्ड मार्गेज बैंक होगा, खाद्य गोदाम होगा, बीज गोदाम और कन्ज्यूमर स्टोर होंगे। उसके साथ ही साथ सरविस के लिये चाहे वह ट्रैक्टर हो, वहां पर होंगे। यदि एक आपके पास खेत है तो आपकी जमीन ट्रैक्टर से जोतवा देंगे और पानी का भी इन्तजाम करदेंगे और जो पैदावार होगी उसमें से ले लेंगे। यह एक रूपरेखा है जो कि बनी है। हमारे विभाग में पहले से कुछ कमियां थीं इसलिये हमारा प्रयास है कि धीरे-धीरे उनको दूर करें और आपकी मदद से आगे बढ़ सकें। हमारा विश्वास है कि आप हमें मदद देंगे जो कि हमारे विभाग को एक नई दिशा देगा जिससे आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आयेगा और गिरे हुए लोग ऊपर उठेंगे।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला ललितपुर)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91--ऋण एवं अग्रिम-सहकारिता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

राज्यपाल दीर्घा में श्री बलिराम भगत, अध्यक्ष, लोक सभा के आगमन पर श्री अध्यक्ष द्वारा अभिदेश

(माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के राज्यपाल दीर्घा में आने पर मेजों की थपथपाहट।)

श्री अध्यक्ष--

मुझे आज सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि हमारे बीच राज्यपाल दीर्घा में लोक सभा के अध्यक्ष, माननीय श्री बलिराम भगत विद्यमान हैं।

(मेजों की पुनः थपथपाहट)

श्री बलिराम भगत ने 1942 के आन्दोलन में सक्रिय भाग लेते हुए अज्ञातवास किया। सन् 1944 में वे नागपुर में भारतीय छात्र कांग्रेस के संस्थापक सदस्य तथा उसकी कार्यकारिणी समिति के भी सदस्य रहे। 1958 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। उसके बाद अन्तरिम संसद् के भी सदस्य थे और इस समय तक निरन्तर पार्लियामेंन्टरी सचिव, राज्य मन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयों के मन्त्री रहे

[श्री अध्यक्ष]

और अब अपनी परिणति को प्राप्त किए हुए लोक सभा के अध्यक्ष का पद सुशोभित कर रहे हैं। सन् 1951 में अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन और 1954-55 में सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रीय देशों में आपका बहुत सूझबूझ का और देश के हित के लिए एक उपलब्धि के रूप में योगदान रहा है। आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। आप सम्पादक भी रहे हैं, जो इकोनोमिक रिव्यू बिहार से छपता था। मैं समझता हूं कि हम और आप सभी उनकी आज की उपस्थिति से हर्षित और आनन्दित हैं।

अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 41—सहकारिता, अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता (क्रमागत)

कामरेड चन्दन सिंह (जिला ललितपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 29 साल की आजादी के दौरान हमारे देश का काफी विकास हुआ है, यह हमें ज्ञात है लेकिन इस दौर में जो मूल्यांकन होता रहा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा विकास सर्वांगीण नहीं हुआ है। बहुत से पिछड़े क्षेत्र व निर्बल वर्ग इस विकास से वंचित रह गए। निर्बल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए हमारे देश ने यह निर्णय लिया कि हमारा अर्थ व्यवस्था समाजवाद की ओर हो। इस समाजवाद के लिए देश की अर्थ व्यवस्था के आधार के दो मुख्य अंग पब्लिक सेक्टर और सहकारिता हैं। पब्लिक सेक्टर के जरिये हमने देखा। उसमें जो कमियां थीं आज इस आपातकालीन स्थिति में उनको महसूस करके हमने उनको अर्थात् मजदूरों को भागीदार बनाया है। लेकिन हमारा सहकारिता आन्दोलन अभी भी ज्यों का त्यों पुराने ढंग पर ही चल रहा है। हमारे पूर्व के कुछ समझदार लोगों ने सहकारिता आन्दोलन स्थापित किया था। लेकिन आज 20 सूत्री कार्यक्रम आ जाने के बाद हम महसूस करते हैं कि निर्बल वर्ग को कर्जा देने और भूमि देने की जो बात है उसमें इसकी प्रमुख भूमिका है। लेकिन आज भी सहकारिता आन्दोलन पर कौन हावी है? वही पुराने सामन्त। व्यापार करने वाले लोग या दूसरे बड़े लोग शेयर होल्डर बनकर मैनेजमेंट में घुस जाते हैं और हावी हो जाते हैं। आज जब कर्जा मुक्त करने का प्रश्न आया है तो सबसे पहले सवाल यह आया कि इसके बाद उनको कैसे सहायता दें। उनको कैसे कर्जा दें जिससे कि वह अपना विकास कर सकें। हमारी सहकारी समितियों को इसमें मदद करनी है। अभी मन्त्री जी ने कहा कि यह आदेश गये हैं कि पूरी वसूली होनी चाहिए। ठीक है। अभी तक तमाम सहकारी संस्थाओं में लाखों रुपया बकाया पड़ा है। अगर उसका मूल्यांकन कराया जाय तो बहुत बड़ी रकम धनी लोगों के ऊपर है। ऐसे लोगों के ऊपर है जिन्होंने अपने गांव के लोगों के नाम पर अंगूठे लगवाकर रुपया ले लिया। ऐसे लोगों का जिला बैंक पर प्रभाव रहता है और अधिकारियों से भी सांठ-गांठ रहती है। इसीलिए इनकी वसूली रुक जाती है। आपका प्रयास पहले गरीब से वसूल करने का होता है।

अभी पिछले दिनों सहकारिता में एक मोड़ आया था ट्रान्सफर इन्ट्री के बारे में, हमारे माननीय यादव जी ने उस कलंक को दूर किया था। ट्रान्सफर इन्ट्री के जरिये से लोग अपना रुपया और दूसरे कामों में लगा दिया करते थे और नाजायज लाभ उठाते थे। ट्रान्सफर इन्ट्री बन्द होने के बाद वह ऋण एक दम से वसूल किया जा रहा है जिससे जो निर्बल वर्ग के लोग हैं उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। एक ओर तो हम मदद करना चाहते हैं इस वर्ग की और दूसरी ओर ऐसे लोगों को कसा भी जा रहा है। ये दोनों चीजें साथ-साथ कैसे चल सकती हैं? फौरन वसूली न रखकर दीर्घकालीन ऋण के रूप में उसको वसूल कर लिया जाय तो अच्छा होगा। किश्तों में वसूल करने में सुविधा होगी और इस प्रकार

से हम सहकारिता के द्वारा उन गरीबों की सहायता भी कर सकेंगे। जो बड़े-बड़े उच्च अधिकारी बैठे हैं वे भी काफी गड़बड़ियां किया करते हैं, जिनकी अनेकों शिकायतें हम सभी को मिला करती हैं। आपने एक सतर्कता विभाग की स्थापना की है जो इस प्रकार की गड़बड़ियों की जांच करता है। इसमें आपको कुछ सफलता भी मिली है और कुछ मामले प्रकाश में भी आए हैं। झांसी के कई मामले इस प्रकार से प्रकाश में आये। एक बार तो लक्ष्मी शंकर जी ने कहा था कि यह तो नौलखा हार है अर्थात् यहां तो 9 लाख रुपयों का गोल-माल है। इस मामले को आपके सतर्कता विभाग ने ही जांच करके पकड़ा था लेकिन जो आपके उच्च अधिकारीवर्ग हैं, वे अपने बचाव की चेष्टा किया करते हैं और अपने भ्रष्टाचार को छोटे कर्मचारियों के मत्थे मढ़ दिया करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस प्रकार के मामले हैं, उन पर आप सख्ती के साथ कठोर कार्यवाही करेंगे। इसमें हो सकता है कि सदन के कुछ हम लोग भी आप पर बाहरी प्रभाव डालें कि उन मामलों की छानबीन न की जाय परन्तु आप सख्त रुख अपनायेंगे तभी आपको कुछ सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं।

आज हम लोग समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं और सहकारिता आन्दोलन समाजवाद की एक प्रमुख रीढ़ बनने जा रहा है और अगर उस रीढ़ को ही तोड़ दिया जायगा तो हम समाजवाद की दिशा में बढ़ने में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप इस ओर अवश्य ध्यान दें। अभी पिछले दिनों एक हरिजन अधिकारी थे जिनसे हमारे लक्ष्मी शंकर यादव जी ने इस विभाग की छानबीन करके एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था। उन्होंने बड़ी मेहनत से छानबीन की और एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दी लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसे कुछ तथ्य थे, ऐसी कुछ बातें थीं, जो बड़े अधिकारियों पर आती थीं। जो बड़े अधिकारी थे, जब उनको यह मालूम हुआ तब वे विभिन्न प्रकार से यह चेष्टा करने लगे कि उनके भ्रष्टाचार की बातों को किस प्रकार से छोटे वर्ग के कर्मचारियों पर डाला जा सके और अपने इसी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये वह रिपोर्ट दबा दी गई। उस अधिकारी पर इधर-उधर से इतना दबाव डाला गया कि उसकी मौत हो गई। मैं समझता हूं कि वह मानसिक रूप से इतना पीड़ित हुआ कि उसको बलरामपुर अस्पताल में भर्ती किया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। मन्त्री जी उस रिपोर्ट को निकलवाने का कष्ट करेंगे और हम सदस्यों को भी उसकी जानकारी देंगे ताकि हम वस्तुस्थिति को समझ सकें। किस तरह से भ्रष्टाचार पनपता है? आप चाहेंगे तो मैं बतला दूंगा कि किस तरह से सहकारी दुग्ध संघ में भी घपला है। बुलन्दशहर की स्पिनिंग मिल में भी घपला है। वह घाटे में जा रही है। सहकारिता से चलने वाली संस्थायें घाटे में जायेंगी तो आगे कैसे काम चलेगा? इन चीजों को आपको एक्जामिन करना होगा। इसी तरह से इटावा की स्पिनिंग मिल बन्द हो गयी। इसकी छानबीन करनी होगी। टोटे में चलते रहेंगे तो हम क्या समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे? और इस तरह से हम प्रतिक्रियावादियों के हाथ में एक हथियार देते हैं। इससे उनको प्रचार का अवसर मिलता है कि आज जो सहकारी संस्थायें हैं थोड़ी बहुत जनता के हाथों में हैं। इस तरह से बदइन्तजामी हो रही है और पूरे तौर से अगर समाजवाद आया तो सारा देश चौपट हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती बेनी बाई (जिला झांसी)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता का जो अनुदान इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं। इस विभाग में जब से चेक सिस्टम लागू हुआ, पुलिस-सेल कायम हुआ है, विभाग में बड़ी तत्परता तथा ईमानदारी से काम होने लगा है। इस लिए मैं इस अनुदान का तहे दिल से समर्थन करती हूं। मान्यवर, नए ऐक्ट के आधार पर जिन

[श्रीमती बेनी बाई]

सहकारी समितियों में चुनाव नहीं हुए थे, उनको भंग कर दिया गया है, झांसी में कोआपरेटिव उपभोक्ता संघ का 7 वर्ष से चुनाव नहीं हुआ है लेकिन उसको भंग नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि उसे तुरन्त भंग कर दिया जाय और उसकी जगह पर सरकार या तो नामिनेशन करे अथवा नया चुनाव करा दें। मान्यवर, कोआपरेटिव बैंक का प्रेसीडेन्ट जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। इसी तरह से डी०सी०डी०एफ० का प्रेसीडेन्ट पदेन सदस्य होता है। मार्केटिंगसोसाइटीज के प्रेसीडेन्ट्समें भी एक सदस्य जो चुनकर आता है, वह जिला परिषद् का सदस्य होता है। मान्यवर, जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव में जो सदस्य हमारी कोआपरेटिव के होते हैं उनको वोटिंग राइट चुनने का है लेकिन जिला परिषद् में जो कोआप्शन होता है 11 हरिजनों और 5 महिलाओं का, इनको उन तीनों को चुनने का वोटिंग राइट छीन लिया गया है, जो कि उनको मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

इनका चुनाव पहले ही हो जाता है और उनका चुनाव जिला बोर्ड बाद में करता है।

श्रीमती बेनी बाई—

लेकिन वोटिंग राइट छीन लिया गया बीच में जो उनको मिलना चाहिए। कर्ज की वसूली खरीफ और रबी में होती है। बुन्देलखंड में पानी न मिलने के कारण उपज कम होती है। एक ही फसल होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रबी के समय एक बार वसूली होनी चाहिए। प्रदेश के अन्य भागों में जहां पानी उपलब्ध होता है, वहां चार-चार फसलें बोई जाती हैं और दो फसलें होती हैं खरीफ व रबी लेकिन बुन्देलखंड में एक ही फसल होती है। इसलिए वहां रबी में एक बार वसूली होनी चाहिए। दूसरे, कमजोर वर्गों पर जो तावानी और कलेक्शन चार्जेज लगाते हैं, वे नहीं लगने चाहिए। तावानी और कलेक्शन के बकाए चार्जेज किसानों पर लगते हैं, वे नहीं लगने चाहिए। क्योंकि किसान की पैदावार अच्छी नहीं होती है। बुन्देलखंड की यह स्थिति है कि वे अपना मूलधन और ब्याज मुश्किल से चुका पाते हैं। पानी नहीं मिलता है, पैदावार अच्छी नहीं होती है इसलिए मूलधन और ब्याज भी नहीं दे पाते, अतः मेरा सुझाव है कि तावानी और कलेक्शन के चार्जेज बुन्देलखंड में बन्द किया जाना चाहिए। मान्यवर, बुन्देलखंड में असिंचित रकबे पर किसान को ऋण देते समय उसका 4गुना हिस्सा दिया जाता है। वहां की जमीन असिंचित होने की वजह से वे लोग खाद नहीं ले पाते। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें ऋण का 8गुना हिस्सा दिया जाना चाहिये जिससे वे रबी की फसल अच्छी तरह से बो सकें।

प्रदेश में कई जगह दूध ग्रामीण प्रसार योजनायें लागू की गई हैं। बुन्देलखंड में भी यह योजना चालू की जानी चाहिए जिससे वहां के लोगों को सही और शुद्ध दूध मिल सके। मान्यवर, इस विभाग में अभी हाल ही में 'ट टर्म वाली' प्रथा चालू की गई है। मैं चाहती हूं कि इस प्रथा को समाप्त किया जाय। क्योंकि जो जनप्रिय होगा वह चुनकर आ जाएगा। एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि जिस तरह से सहकारी पर्यवेक्षक आज हैं, उनका वेतन कम है। इसलिए जो ग्राम सेवकों का वेतन क्रम है 220 रुपए का स्केल आप उन्हें देते हैं, उसी तरह से इन सहकारी पर्यवेक्षकों को भी देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय सदस्य ने एक हरिजन अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया। वह रोशनलाल कमेटी थी और

वे हमारे यहां आज भी डाइरेक्टर हैं। शायद भ्रमवश माननीय सदस्य ने कहा कि उनका स्वर्गवास हो गया है। जिनका जिक्र उन्होंने किया है वे के0 एन0 धूसिया थे। इसलिये वे पहले इस बात को अपने दिमाग से हटा लें...

कामरेड चन्दन सिंह—

के0 एन0 धूसिया ने रिपोर्ट की थी।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मरने का सम्बन्ध है वह उनमे नहीं है।

श्री माता प्रसाद—

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लैन्ड मार्गेज बैंक, जो हमारे यहां खुले हुये हैं जिलों में, जो उनकी शाखायें हैं और उनके माध्यम से जो कृषि विकास के यन्त्र तथा सिंचाई आदि के लिये सुविधायें दी जाती हैं, उनमें यह होता है कि जो मैनेजर होता है वह सीधे किसानों को रुपया नहीं देता है बल्कि जिन फर्मों से पंपिंग सेट वगैरह लेना होता है, उनके जरिये से रुपया दिया जाता है। इसमें रुपए का बड़ा गोलमाल होता है। कमीशन भी लोगों को इसमें से दिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को रुपया डाइरेक्ट दिया जाय। यह देख लिया जाय कि उन्होंने एक महीने के अन्दर जिस सामग्री के लिए रुपया कर्ज लिया था वह सामग्री खरीद ली है या नहीं ? किसी भी किसान को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि अमुक फर्म से ही वह अपना सामान खरीदे। ऐसा करने से किसानों को परेशानी होती है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसकी व्यवस्था अपने विभाग में करेंगे।

मान्यवर, यह कोआपरेटिव विभाग के सुपरवाईजर जो हैं, बहुत बदनाम रहे हैं, उसका कारण यह है कि यह सरकार के डायरेक्ट नियन्त्रण में नहीं रहे हैं। वह कोआपरेटिव बैंक के नियन्त्रण में रहे। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है कि कोआपरेटिव विभाग के जितने सुपरवाइजर हैं, वह इनके नियन्त्रण में हों। यह अच्छी बात है। अभी तक यह एक ही जगह में पड़े रहते थे, जिससे ज्यादा गड़बड़ियां होती थीं। इनको बराबर हटाते रहना चाहिए जिससे गड़बड़ियां करने का कम मौका मिलता है।

यह कोआपरेटिव से सम्बन्धित जितनी संस्थायें हैं चाहे दुग्ध-संघ हों चाहे उपभोक्ता-संघ हों, उनमें कमजोर वर्ग के लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 1/3 जगहों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, हरिजन हैं, उनका नोमिनेशन किया जाय। इन संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और जितनी भी कोआपरेटिव संस्थायें हैं, उनमें यह लोग पहुंच सकें।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय 'जो कर्ज की गांवों में महाजनी व्यवस्था थी, वह सरकार ने खत्म कर दी है। तो कोआपरेटिव बैंक को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनको परसनल जमानत पर ढाई सौ, तीन सौ और पांच सौ तक कर्ज देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय गरीब आदमियों को महाजन कर्ज देता नहीं है और सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है जिससे इनको कर्ज मिल सके। तो मैं चाहता हूं कि परसनल जमानत पर इनको कर्ज देने की आप व्यवस्था करें।

[श्री माता प्रसाद]

मान्यवर, कोआपरेटिव विभाग में अभी तक सरकार के जो शासनादेश हैं, नियुक्तियों के सम्बन्ध में, हरिजनों के आरक्षण के लिए, उनका पालन नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव संस्थाओं में अभी तक ज्यादातर नियुक्तियां सिफारिश पर होती हैं। जो संचालक हैं या मैनेजर हैं, वे अपने आदमियों को रख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से आदेश होना चाहिए कि जो भी नियुक्तियां हों, उनमें आरक्षण की व्यवस्था हो और उसका पूर्णरूप से पालन किया जाय।

इस वक्त जो कुछ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं उससे आशा है कि अभी तक जो कोआपरेटिव विभाग बदनाम था उससे वह कलंक दूर हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सांस्कृतिक कला एवं सहकारिता विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी कला और संस्कृति के अन्तर्गत बजट पेश करते हुए माननीय मंत्री जी ने जो संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा करने की योजना आपके सामने पेश की है, वह सचमुच एक सराहनीय बात है और सरकार की तरफ से जो प्रयास हुआ है प्राचीन ग्रन्थों को संग्रह करने का, वह प्रशंसनीय है। अभी एक लेख मैं पढ रहा था जो दक्षिण भारत के एक संस्कृत विद्वान ने लिखा था जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि संस्कृत भाषा के अन्तर्गत जो आजकल आविष्कार हो रहे हैं, वह सब बातें मौजूद हैं। मध्य काल में जिस समय मुगलों का आक्रमण हुआ, उस समय की बहुत सी किताबें आज भी इराक आदि देशों में मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रयास होना चाहिये। प्राचीन काल में जो हमारे देश में हमले हुए और यहां से जो संस्कृत के ग्रन्थ विदेशों में रखे गये हैं या जिस तरीके से गये हैं, हमारी राज्य सरकार की तरफ से इस बात का प्रयास होना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार उन सरकारों को लिखकर उन ग्रन्थों को वापस मंगाए। उनके वापस आने पर हम अपने संग्रहालयों में सुरक्षित रखें। उस उपयोगी साहित्य से लाभ लोगों को पहुंचाए तो यह एक बड़ी अच्छी चीज होगी। मंत्री जी ने जो शंकराचार्य जी के बारे में जिक्र किया, उसका मैं समर्थन करता हूं, वह एक अच्छी चीज है और होना चाहिये। जो उन्होंने धर्म पर कार्य किया था, उसका मूल्यांकन होना चाहिये, उसकी लोग खोज करेंगे, यह एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है, हिन्दू और मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारे सन्त कबीर साहब की मजार मगहर में है, जिससे बढ़कर भारतवर्ष की संस्कृति का केन्द्र कोई नहीं हो सकता है। यह गौरव हमारे पूर्वी जिले को मिला हुआ है, जिसके क्षेत्र बस्ती में यह मजार है। वहां पर कबीर की मजार बनी है और मंदिर और मस्जिद आसपास साफ बने हुए हैं। जैसे आपने 6 लाख रुपया शंकराचार्य के लिये मंजूर किया है, वैसे ही कबीर के जो सिद्धान्त और फिलासफी थी, उनका प्रचार और प्रसार करने के लिये और उसे कला के अन्तर्गत लाने के लिये आप अवश्य प्रयास करें और एक धनराशि मंजूर करने की कृपा करें। मैं आपसे इस बात की उम्मीद करता हूं।

अब जो सहकारिता का बजट मंत्री जी ने पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि सन् 70 के बाद से सहकारिता विभाग में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। जैसा, चन्दनसिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है, पहले समाज के चन्द लोगों के लाभ के लिये यह आन्दोलन बना हुआ था, सरकार को प्रयास यह करना चाहिये कि उत्तरप्रदेश की सारी जनता, सर्वसाधारण जनता इसकी भागीदार बन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सके। यदि इस आन्दोलन को आप कामयाब बना सकेंगे, तो समाजवादी व्यवस्था की ओर आप समाज को तेजी से अग्रसर कर सकेंगे। 70 के पहले इस विभाग के सुपरवाइजरों के खिलाफ जितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, वे इधर कम हुई हैं। 10 करोड़ रुपया पहले समाज के अच्छे और सामन्त लोगों ने लेकर हड़प लिया था। जिनको पैसे की जरूरत नहीं थी लेकिन दूसरों के नाम पर, सहकारी समितियों के चेयरमैन और बैंकों के मैनेजर बनकर रुपया निकाल लिया है। किन्तु सन् 70 में जब से कोआपरेटिव विभाग में पुलिस सेल कायम हुआ, जिसके अफसर पुलिस अधीक्षक, श्री कामेश्वर सिंह बनाये गये हैं, उनके प्रयासों से जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी, उन पर पकड़ मजबूत हुई है और हजारों आदमियों का इन्होंने चालान किया है और हमारे पास आकड़े हैं कि अब तक 1851 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सजा भी मिली है। इनके केस कोर्ट में गये हैं और करीब 4 करोड़ 28 लाख रुपये की ऐसी सम्पत्ति का पता चला है, जिसको चन्द, भ्रष्ट लोगों ने हड़प लिया है। हमारी व्यक्तिगत जानकारी में है कि इसका इन लोगों ने फायदा उठाया है और 10 करोड़ रुपया गलत तरीके से ले लिया है। अब वह दूसरों के नाम पर वसूला जा रहा है—जोखू और घोरऊ के नाम पर। मैं खुद जानता हूं इस सदन में सवाल भी उठाया है, मेरे जिले में बड़े-बड़े राजा, महराजा और सामन्त कोआपरेटिव संस्थाओं के डायरेक्टर और अध्यक्ष बने हुए थे, स्वयं इन लोगों ने दो-दो, ढाई-ढाई लाख रुपया ले लिया है। यह रुपया गरीबों से वसूला जा रहा है, जिससे सैकड़ों लोग बड़े परेशान हैं। एकोनामिक आफेंस एक गम्भीर अपराध है और बीस सूत्री कार्यक्रम में इसे मिटाने पर बड़ा जोर दिया गया है।

जैसा उस दिन मान्यवर ने कहा था कि कई जगह माननीय सदस्य बीस सूत्रीय कार्यक्रम का नाम घसीट लेते हैं, किन्तु आज जो सहकारिता आन्दोलन है, इसका उससे बड़ा गहरा सम्बन्ध है। एकोनामिक आफेंसेस, जिसे हमारी प्रधान मंत्री जी बन्द करना चाहती हैं, सख्ती से बन्द करवाना चाहती हैं। आज कोआपरेटिव विभाग के डाइरेक्टर से लेकर कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर तक भ्रष्टाचार में रत हैं। लेकिन आज मंत्री जी ने यही कहा कि सुरपवाइजर का ओहदा हमने सरकारी किया। कोआपरेटिव सेल में जो आपने अधिकारी नियुक्त किये हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री कामेश्वर सिंह ऐसे आदमी, जिनकी ईमानदारी में कोई भी उत्तरप्रदेश का आदमी डाउट नहीं कर सकता है। लाखों-करोड़ों रुपये इस विभाग द्वारा पकड़े गये हैं। जरूरत इस बात की है कि जिस जिले में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में ज्यादा धांधली हुई है, वहां पर अधिकारियों को और ज्यादा मुकर्रर करें तथा कर्मचारियों को भी बढ़ायें, तब हम समझते हैं कि इस पर आप काबू पा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव मूवमेंट को ज्यादा कामयाब बनाने के लिये इस तरह का आप कानून लावें कि कम से कम 3 बीघे से लेकर और ऊपर जो किसान हैं, सारे अधिक से अधिक किसान इसमें सदस्य बन जायं और इसमें अगर कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कानून बना कर, कोआपरेटिव सोसाइटियों का सदस्य बना कर ऐसे-ऐसे कार्य करें, जिससे कोआपरेटिव मूवमेंट को ऊंचा दर्जा मिल सके। और जब आप कोआपरेटिव मूवमेंट को इतना ऊंचा दर्जा देने जा रहे हैं, तो कोआपरेटिव बैंक के ऊपर भी सोचना है। बोनस के आर्डिनेंस का सवाल उनके कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिये। इनकी पोजीशन सेन्ट्रल बैंक, रिजर्व बैंक से भिन्न है। अगर कोई पूछता है कि भाई आप कहां काम करते हो, तो वह बताता है कि कोआपरेटिव बैंक में काम करता हूं, तो वह समझ जाता है कि खाने-पीने वाला डिपार्टमेंट है। और अगर कोई पूछता है कि आप कहां काम करते हैं, तो कोई कहता है कि मैं स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक में काम करता हूं, तो वह समझ जाता है कि यह अच्छा डिपार्टमेंट है। उसकी इज्जत होती है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री महेश सिंह (जिला हरदोई)--

आदरणीय अध्यक्ष जी, सहकारिता मंत्री जी ने जो मांगें पेश की हैं, उनके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अपने भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के विकास की एक ऋण नीति की व्याख्या की थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किस तरह से खेती की तरक्की के लिये पूंजी विनियोग के लिये प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब और हरियाणा में जितना रुपया मिल पाता है उतना पया हम यहां यू0पी0 में नहीं पाते हैं। यह बात सही है कि उसके लिये हमको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यह कोई सहकारिता की ही कमजोरी नहीं है, इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जैसे इसके लिये कहा जाय कि पंजाब में प्रति हेक्टेयर जो गहूं की उपज है वह यहां से कहीं ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां सिंचाई के साधन हैं, बिजली की सप्लाई है। तो मान्यवर, ये सब बातें सामने आती हैं। ऐसी कोई सहकारिता की कमजोरी नहीं है। 575 करोड़ रुपये जो हमको चाहिये वह हम रिजर्व बैंक से नहीं पाते हैं। यह केवल सहकारिता की नहीं, इसमें सिंचाई और बिजली भी आती है। जब हम ऋण नीति सहकारिता की बनायें तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। सहकारिता की जो अभी हमारे मंत्री जी ने कुछ नई बातों का जिक्र किया कि किस तरह से को आगे और प्रभावी और निर्बल वर्ग के लिये और अधिक उपयोगी बनाना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि इसमें बड़े पैमाने पर काम होगा, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि जो सहकारिता में बैंक काम करते थे या जो सोसाइटियां काम करती थीं, उसके ढांचे में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उदाहरण के लिये बताऊं कि जो गांव स्तर की समितियां थीं, जो कि न्याय पंचायत में कर दी गई, उन सबकी दशा इतनी खराब है कि वे अब सी0 और डी0 श्रेणी की हैं। तो उनको कैसे ठीक किया जाय? किसानों की इतनी आमदनी नहीं होती है कि वह उस रुपये को अदा कर सकें। उनको रुपया अदा करना मुश्किल हो जाता है। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि जो रुपया पिछले साल का बकाया रह जाता है, उसको अदा कर सकें। उसके पास रुपये देने की क्षमता रह ही नहीं जाती है। इसके लिये सामूहिक खेती कराना चाहिये।

जो भूमि आवंटित है, उसके लिये 275 रु0 दिया गया है कि वह उस पर खेती करे; यह सब रुपया व्यर्थ चला जाता है। उस रुपये का कोई प्रयोग हो नहीं पाता है। जो पया दिया जाता है, अब सब बेकार हो जाता है। मेरा कहना है कि रूरल क्रेडिट में सुधार करना चाहिये और उस में परिवर्तन किया जाये। एक रजिस्ट्रार ही सारे कार्यों को करता है, इस कारण सभी कार्य वह क्षमता से कर नहीं पाता है। रूरल क्रेडिट का बहुत बड़ा मामला है उसके लिये एक अलग से अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिये। ए0 पी0सी0 के पास बहुत ही काम रहता है। बैंकों की इतनी ब्रान्चें खुल गयी हैं तो किसानों को ठीक प्रकार से रुपया दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रूरल क्रेडिट को कोआपरटिव से अलग कर दिया जाये, जिससे कि उसका कार्य सुचारु रूप से हो सके और जो इम्बैलेन्स होता है वह न हो। मास्टर प्लान से जो नये मेम्बर बनाये जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि नये बनते हैं और पुराने डिफन्क्ट होते जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो एजेन्सी हो वह रूरल क्रेडिट को देखे। अब मैं एक चीज अपने जिले की कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में दुग्ध-संघ की स्थापना के लिये तत्कालीन मंत्री जी ने कहा था लेकिन वह वहां नहीं स्थापित किया गया है। वह हमारे जिले से उन्नाव को चला गया है। मैं चाहता हूं कि हरदोई जिला, जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर इसकी स्थापना की जाये। माधोगंज में इसकी स्थापना की जाय। इस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने-अपने विचार प्रकट किए। श्री चन्दन सिंह ने जो कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, उसको देखकर मुझे दुख हुआ कि जो बातें मैंने कहीं उन्हींको उन्होंने भी कहा है। निर्बल वर्ग के लोगों का जो कभी प्रतिनिधित्व नहीं था, वह हमने दिया है। जिन लोगोंको ऋण नहीं मिलता था, छोटे लोग थे, उनको भी दिया। कहीं—कहीं पर ज्यादती हुई होगी, लेकिन जब नजर में आती है, तो उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। पहले कुछ लोग सदस्य नहीं थे लेकिन अब तो हमने यह कर दिया है कि चाहे छोटे से कृषक परिवार भी हों, उनको भी सदस्य बनाया जायगा। और अगर कोई दिक्कत होगी तो कानून बनाया जायगा। सुपरवाइजर्स के कन्ट्रोल को भी हमने अपने हाथ में ले लिया है। जो-जो बातें आज आपने कही वे तो हमने स्वीकार कर ली हैं तो फिर यह कटौती प्रस्ताव आप किस लिए रख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसे आप वापस ले लें।

माननीय माता प्रसाद जी ने लोन के बारे में दिक्कत का प्रश्न उठाया है। अब हमने आदेश कर दिए हैं कि पहले जो एक इन्सटालमेंट कुएं खोदने पर, दूसरी इन्सटालमेंट लाइन खींचने पर देते थे, उसको एक साथ दे दिया जाय लेकिन सेट के खरीदने में कुछ दिक्कत आती है, अगर उसका भी पैसा पूरा दे दिया जाय तो उस पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। तो हमने कह दिया है कि पंप लेकर दफतर में उसकी डिलिवरी होगी और उससे यह परेशानी नहीं होगी।

जहां तक माननीय काशी नाथ मिश्र जी का प्रश्न है, जो उन्होंने समाधी और कब्र के बारे में उठाया है, मेरा निवेदन है कि वह अभी भी हमारे विभाग के संरक्षण में है और उसकी मरम्मत हुई है। हम अभी भी उसकी देखरेख करते हैं।

जहां तक भाई महेश सिंह जी का सुझाव है, हम उन पर गौर करेंगे और गौर करके नये आदेश देंगे। अब मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय चन्दन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मुझे माननीय मंत्री जी से निवेदन करना है कि पर्वतीय अन्चल में अभी तक भी बैंक सिस्टम से लोनिंग आरम्भ नहीं हुआ है जिसके कारण एम्बेजेमेंट हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह चैक सिस्टम वहां पर क्यों नहीं लागू किया गया है ?

श्री शांन्ति प्रपन्न शर्मा—

इस बात की मुझे सूचना नहीं है लेकिन हमने निश्चय किया है कि पर्वतीय अन्चल में किस प्रकार से लोनिंग हो। हमारा विचार है कि इस बात पर विचार करने के लिये हम एक गोष्ठी का आयोजन करें जिसमें पर्वतीय अन्चल के माननीय सदस्य होंगे और हमारे अधिकारी भी होंगे। फिर उसमें विचार करके जो भी उचित होगा, वह किया जायगा और तदनुसार आदेश दिए जायेंगे।

कामरेड चन्दन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वे निर्बल वर्ग के लिये कुछ करना चाहते हैं लेकिन यहां पर जो बहस हुई उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपकी सहकारी समितियां और बैंकों के संगठन में कुछ आमूल परिवर्तन करना है। जैसे आपके संचालक मंडल जो हैं, उनमें निर्बल लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

जो नये सुझाव हैं, संचालक मंडल में ही हैं। संचालक मंडल में निर्बल वर्ग का 33 फीसदी प्रतिनिधित्व है और अगर वे चुनाव में न आये तो हम नोमिनैशन कर देंगे।

कामरेड चन्दन सिंह—

माननीय सहकारिता मंत्री जी के इस आश्वासन पर मैं अपने चारों कटौती के प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कामरेड चन्दन सिंह को आपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से कामरेड चन्दन के सभी कटौती के प्रस्ताव वापस हुये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,71,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,98,64,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास संबंधी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,69,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम—सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,56,13,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुयी है कि "नैनीताल में तथाकथित सर्वनाशकारी पौधे उगने से जनता में व्याप्त संकट"—तो आवश्यक कार्यवाही के लिये इसे मैं शासन को भेज रहा हूं।

कामनवेल्थ पार्लियामेन्टरी एसोसियेशन की उत्तर प्रदेशीय शाखा की बैठक की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आप जानते ही हैं कि 4 बजे से यहां तिलक हाल में कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी असोसिएशन की उत्तर प्रदेशीय शाखा की बैठक होगी जिसमें माननीय लोक सभा अध्यक्ष सम्मिलित होंगे। मैं समझता हू आपको याद होगा।

अब हम उठते हैं और 10 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 5 मिनट पर सोमवार, 10 मई, 1976 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
8 मई, 1976

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 117 वि0 सभा (244)—1976—840।

उत्तर प्रदेश विधान सभा